

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 66/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/81

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा हाल सिरौही
(राज)

बनाम

अभियुक्त :-

1. नरेश पटेल पुत्र श्री शान्तिलालजी कलाल
मैसर्स- RJ 03 GA 6631 सांगडोद
चौराया, निवासी- 8/46 खांदु कालोनी,
बांसवाड़ा
2. Anil Singh s/o Shri Pawan Singh
(Nominee) S.R. Food, Plot No- 219
to 240 IGC, Food Park, Saha
Ambala (HR) Pin 133104

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 21-03-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरौही (राज.) के द्वारा दिनांक 29-11-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 28-01-2022 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स -RJ 03 GA 6631 सांगडोद चौराया, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर नरेश पटेल पुत्र श्री शान्तिलालजी कलाल उपस्थित थे। विक्रेता के वाहन संख्या RJ 03 GA 6631 का निरीक्षण करने पर RUSK (Brand- Ruskoo) के 150 gm के 500 पैकेट आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें गिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए RUSK (Brand- Ruskoo) के 8 पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इसकी कीमत 136 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा RUSK (Brand- Ruskoo) के पैकेट के चार भाग कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-922 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)


प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/48-49 दिनांक 17-02-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 139 दिनांक 10-02-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **RUSK (Brand- Ruskoo)** का नमूना कोड क्रमांक **W-922** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **RUSK (Brand- Ruskoo)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29-11-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21.03.2023 को अप्रार्थी सं. 1 स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री मोहित जैन जिसे अनिल कुमार सिंह (Nominee) S.R. Food, Plot No- 219 to 240 IGC, Food Park, Saha Ambala (HR) ने अपनी ओर से इस प्रकरण में उपस्थिति हेतु अधिकृत किया है, ने अप्रार्थी श्री अनिल सिंह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/48-49 दिनांक 17-02-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 139 दिनांक 10-02-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **RUSK (Brand- Ruskoo)** का नमूना कोड क्रमांक **W-922** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार



न्याय निरीक्षण अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं।
इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zi) के तहत
मिसब्राण्डेड RUSK (Brand- Ruskoo) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया
गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा
52 में निर्धारित है। आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी नरेश पटेल
पुत्र श्री शान्तिलालजी कलाल मैसर्स RJ 03 GA 6631 सांगडोद चौराया, बांसवाडा,
Anil Singh s/o Shri Pawan Singh (Nominee) S.R. Food, Plot No- 219 to
240 IGC, Food Park, Saha Ambala (HR) Pin 133104 को रुपये 40000/-
(अक्षरे रु चालीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.
1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र
शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की
प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निणयन अधिकारी
(अतिरिक्त कलेक्टर)
बांसवाड़ा